न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्याः 108/2016 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

सीयाराम पुत्र दीपसिंह जाति गुर्जर निवासी कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी राधेश्याम जाति वैश्य निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर।

असल रैस्पोडेन्ट

3. शेरसिंह
4. श्रीराम

} पुत्रान दीपचंद जाति गुर्जर निवासी कमालपुरा तहसील तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

तरतीवी रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 12.3.2016 व इन्तकाल नम्बर 1908 वाकै ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री तालेराम वकील अपीलान्ट।
2. श्री पंकज कुमार वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांक : 14.9.2018

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार भुसावर की आज्ञा दिनांक 12.3.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह फैसला तहसीलदार भुसावर दिनांक 12.3.2016 इन्तकाल नम्बर 1908 वाकै ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि यह इन्तकाल दौराने मुकदमा भरा गया है क्यों कि जो डिक्री एसडीओ साहब भुसावर ने दिनांक 5.2.2016 को दी थी जिसके तहत यह इन्तकाल भरा है व डिक्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पदेन भू प्रबन्ध अधिकारी के यहां पेडिंग है। लायक अदालत ने कोई मौके की जांच नहीं की है और अपीलान्ट का कब्जा एन0एच0 11 की तरफ है। अपीलान्ट को इस फैसले का कोई इल्म नहीं होने दिया और रैस्पो0 संख्या 1 से मिलकर तहसीलदार साहब ने दिया है जो कतई

ख़िलाफ कानून है जो काबिल मंसूखी के है। यह कि जिस डिक्री के तहत दाखिला खोला है वह डिक्री भू प्रबन्ध अधिकारी के यहां पेडिंग है। अपीलान्ट और तरतीवी रैस्पो0 के नाम जोडे है वह वह भी उनके नाम गलत दाखिल खारिज दर्ज किया है। यह कि अपीलान्ट को बिना सुनवाई के निर्णय दिया है जो हर हालत में काबिल मंसूखी है। लायक अदालत का फैसला कानून व रिकार्ड के खिलाफ है जो काबिल मंसूखी है। अपीलान्ट को इस फैसले का इल्म दिनांक 11.3.2016 को पटवारी हल्का के बतलाने पर हुआ है । इल्म से और नकल मिलने से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है डिले कन्डोन करने के लिये दफा –5 मय शपथपत्र अलग से पेश है डिले कन्डोन की जावे। यह कि फैसला एकतरफा में दिया है जो हरहाल में काबिल मंसूखी के है। यह कि अभी इस आराजी बाबत मुकदमा भू प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी दं यहां चला हुआ है इसलिऐ स्टे किया जाना चाहिऐ था। अन्त में प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दिनांक 12.3.2016 तहसीलदार भुसावर का फैसला व इन्तकाल नम्बर 1908 वाकै ग्राम कमालपुरा निरस्त किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि डिक्री के अनुसार म्यूटेशन नहीं हुआ है। आर0ए0ए0 से स्थगन होने के उपरान्त म्यूटेशन भर दिया है। हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया है। अतः हमारी अपील स्वीकार करें।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी के दो खातेदार शेरसिंह व लक्ष्मी थे। लक्ष्मी ने एस0डी0ओ0 भुसावर में बंटवारे का दावा किया जिसमें निर्णय/अन्तिम डिक्री जारी हुई जिसके आधार पर तहसीलदार ने नामान्तरकरण भरा है। जिसके खिलाफ यह अपील पेश की गई है जिसको पेश करने का अपीलान्ट को कोई अधिकार ही नहीं है। अपीलान्ट सियाराम तो केता है एवं उसने शेरसिंह का हिस्सा क्रय किया है। डिक्री की पालना में खोला गया नामान्तरकरण है जो विधिविरूद्ध नहीं हो सकता। मूल डिक्री की भी इन्हौने अपील कर रखी है जिसमें कोई स्टे नहीं है। आर0आर0टी 2005 भाग 2 पेज 774 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि जब तक मूल आदेश है तब तक उसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट सियाराम केता है इसे अपील का अधिकार ही नहीं है ना ही म्यूटेशन में इसका नाम है। धारा 96 सीपीसी की अनुमति भी जरूरी है उसका भी कोई प्रार्थना पत्र अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किया गया है साथ ही अपील मियाद बाहर है। यह अपील विधिसम्मत म्यूटेशन के खिलाफ पेश की है

... की जावे। विवादित आराजी के संबध में आज तक कोई स्टे नहीं है । ... पर भी कोई स्टे उपलब्ध नहीं है। म्यूटेशन डिक्री के अनुरूप ही भरा ... है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1908 दिनांक 12.3. 2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया साथ ही वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम नम्बर 14–16 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णय/डिक्री न्यायालय एस0डी0ओ0 निर्णय दिनांक 5.2.2016 की पालना में मुताबिक हुक्मन आदेश अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1908 बाद जांच स्वीकृत किया गया है ऐसे में नामान्तरकरण की कार्यवाही को विधिविरूद्ध नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस डिक्री/निर्णय के आधार पर स्वीकृत किया गया है उसकी वैद्यता सक्षम न्यायालय द्वारा तय नहीं हो जाती नामान्तरकरण की कार्यवाही को अवैद्य नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में 75 एलआरएक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत नामान्तरकरण की अपील में उस आधार (निर्णय/डिक्री) का परीक्षण किया जाना न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार ... होने के कारण मुनासिब नहीं रहता है । अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई तथ्य भी अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि उक्त निर्णय/डिक्री दिनांक 5.2.2018 सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका हो अथवा दौराने स्वीकृति अपीलाधीन नामान्तरकरण किसी सक्षम अदालत का स्थगन आदेश प्रभावी हो। अर्थात वर्तमान में निर्णय दिनांक 5.2.2016 आस्तित्व में है और इस निर्णय/डिक्री के आस्तित्व में रहते हुये उसके आधार पर स्वीकार किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार भुसावर द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1908 दिनांक 12.3.2016 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।